भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2046

उत्तर देने की तारीख: 05.08.2026

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013

2046. प्रो. मनोज कुमार झा:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस चिंता का परीक्षण किया है कि हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के अंतर्गत परिभाषात्मक सीमाओं के कारण सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान होने वाली मौतों को हाथ से मैला उठाने के कारण हुई मौतों के रूप में दर्ज नहीं किया जाता है;

(ख) क्या सरकार सटीक रिपोर्टिंग तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए "सीवर एवं सेप्टिक टैंक सफाई के दौरान होने वाली मौतों" की पृथक राष्ट्रीय श्रेणी बनाने अथवा वर्तमान परिभाषा में संशोधन करने का प्रस्ताव रखती है; और

(ग) क्या स्वच्छता-संबंधी सभी व्यावसायिक मौतों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किए जाने का प्रस्ताव है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के अनुसार, देश में 6.12.2013 से हाथ से मैला उठाने का कार्य प्रतिबंधित है। इसके अलावा, एमएस अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, 2024-25 के दौरान सभी जिलों में एक नया सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें कोई भी हाथ से मैला उठाने वाला कार्मिक नहीं पाया गया है। एमएस अधिनियम, 2013 के अनुसार जोखिमपूर्ण सफाई और हाथ से मैला उठाने की परिभाषा इस प्रकार है:-

धारा 2(1) (घ)

किसी मलनाली या मलाशय के संबंध में, किसी कर्मचारी द्वारा ''परिसंकटमय सफाई'' से नियोजक द्वारा संरक्षात्मक साधनों और अन्य सफाई करने की युक्तियां उपलब्ध कराने की अपनी बाध्यताओं को पूरा किए बिना और सुरक्षा संबंधी ऐसी पूर्वावधानियों का, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या उसके अधीन बनाए गए नियमों में विहित या उपबंधित की जाएं, अनुपालन सुनिश्चित किए बिना ऐसे कर्मचारी द्वारा किया गया उसका सफाई कार्य अभिप्रेत है।

धारा 2(1) (छ)

"हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसको इस अधिनयिम के प्रारंभ पर या उसके पश्चात किसी समय किसी अस्वच्छ शौचालय से या किसी खुली नाली या ऐसे गड्ढे में से, जिसमें अस्वच्छ शौचालयों से या किसी रेलपथ से या ऐसे अन्य स्थानों या परिसरों से, जिनको केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अधिसूचित करे, मल-मूत्र के, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, पूर्णतया विघटित होने से पूर्व, मानव मल-मूत्र को डाला जाता है, हाथ से सफाई करने, उसको ले जाने, उसके निपटान में या अन्यथा किसी रीति से उठाने के लिए किसी व्यष्टि या स्थानीय प्राधिकारी या अभिकरण या ठेकेदार द्वारा लगाया जाता है या नियोजित किया जाता है और ''हाथ से मैला उठाने'' पद का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा।

(ख): वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग): सीवर की सफाई से होने वाली मौतों के बारे में जिला अधिकारियों द्वारा पुष्टि के आधार पर, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) अपनी वेबसाइट पर डेटा अपडेट करता है।
